

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 721(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010 में -

- (i) विनियम 4 के उप-विनियम (1) में "विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित" शब्दों के स्थान पर "विनियम 5 के अंतर्गत निर्धारित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं; और

- (ii) विनियम 4 के उप-विनियम (3) में "विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत निर्धारित" शब्दों के स्थान पर "विनियम 5 के अंतर्गत निर्धारित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[फा. सं. एस-प्रशा./II/8/2009-खण्ड. I]

रतन पी. वातल, सचिव

याद टिप्पणी :— मूल विनियमों को सं. सा.का.नि. 481(अ) दिनांक 7 जून, 2010 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Amendment Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010,

(i) in sub-regulation (1) of regulation 4, for the words "prescribed under sub-regulation (1) of regulation 5", the words "prescribed under regulation 5" shall be substituted; and

(ii) in sub-regulation (3) of regulation 4, for the words "prescribed under sub-regulation (2) of regulation 5", the words "prescribed under regulation 5" shall be substituted.

[F. No. S-Admn./II/8/2009-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Footnote:— Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 481(E) dated 7th June, 2010.